

तारीख
हु


इन्दुस्तान लि. व/ए राजस्थान राज्य
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्राचीन पत्र 258/2021 (2021/457)

20/7/23

अखिलता प्राचीन एवं वेरोकार सरकार
उपाधीत। वरुत प्रकरण उभय पत्र
सुनी गई।

हमने पत्रवली का अवलोकन
कर प्राचीन पत्र जवाब - प्राचीन पत्र
एवं राजस्व रेकार्ड का महत्ता से
अध्ययन का वरुत उभय पत्र का
चिन्तन मगन किया। प्राचीन को
आपटिड भूमियां - जिन्की किलम जो
गट सेटलमेन्ट मे दर्ज थी, वो ही
किलम नवीन सेटलमेन्ट मे भी दर्ज
हैं। इन्हे प्राचीन कम्पनी के नाम ही
जो रेकार्ड हैं। प्राचीन कम्पनी आपटिड
भूमियों की - वर्तमान उपयोग के
हिसाब से किलम परिवर्तन कराना
चाहते हैं, जबकि धारा 136 एल. डार.
एक्ट. के तहत विक्रि अनिलेख की
शुदियों को ही शुद्ध करने का प्रावधान
है।

अतः प्राचीन द्वारा प्रस्तुत प्राचीन
पत्र धारा 136 एल. डार. एक्ट
के तहत पोषणीय नहीं होने से
स्वीकृत किया जाय है। निर्णय
निश्चया जाकर उसे इजाजत सुनाया
गया। पत्रवली केसम शुमार होकर
नम्बर से कम हो।


(रामचन्द्र खटीक)
सहायक जज एंड
उपकरण अधिकारी
दिलीपगढ़